न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
44/2023	FSS ACT	11.10.2023	28.01.2026

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

1. लोकेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र श्री शिवदयाल त्यागी, उम्र 32 वर्ष जाति त्यागी मालिक/विक्रेता मैसर्स– त्यागी इन्डस्ट्रीज F–121ग्रोथ सेन्टर रीको इ0 एरिया धौलपुर निवासी बदरिका सैंपऊ धौलपुर

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.01.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.10.2022 को दोपहर 04:00 पीएम बजे मैसर्स – त्यागी इन्डस्ट्रीज F–121ग्रोथ सेन्टर रीको इ0 एरिया धौलपुर पर पहुंचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम लोकेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र श्री शिवदयाल त्यागी, उम्र 32 वर्ष जाति त्यागी मालिक/विक्रेता मैसर्स– त्यागी इन्डस्ट्रीज F–121ग्रोथ सेन्टर रीको इ0 एरिया धौलपुर निवासी बदरिका सैंपऊ धौलपुर बताया एवं लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहा तो उन्होने खाद्य अनुज्ञा मौके पर दिखाया जो पत्रावली में संलग्न है। आवेदक द्वारा निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री के गोदाम में 1. वाईट क्रिस्टल सुगर के 116 कटटे (प्रत्येक 50 किग्रा), 2. सूजी 13 कटटे (प्रत्येक 50 किग्रा), 3. गेंहू का आटा 02 कटटे (प्रत्येक 50 किग्रा), 4. एसएमपी के 69 कटटे (प्रत्येक 25 किग्रा) 5. रिफाईण्ड पामोलिन तेल 108 टीन (प्रत्येक 15 किग्रा), 6. डोडा बर्फी लगभग 300 किग्रा, 7. कलाकन्द लगभग 3000 किग्रा रखी हुई थी में से नमूना संख्या डी 2631 कलाकन्द, डी 2632 डोडा बर्फी, डी 2633 रसगुल्ला, डी–2634 रिफाईण्ड पामोलिन तेल, डी 2635 सूजी, डी 2636 एसएमपी, डी 2637 गेंहू का आटा एवं डी 2638 वाईट क्रिस्टल सुगर नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना प्रपत्र जो नमूना संख्या डी 2634 का फार्म 5 ए पत्रावली में संलग्न है। जो कि नमूना संख्या

62/ 28.01.26

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

डी 2631 कलाकन्द व नमूना संख्या 2632 डोडा बर्फी का माल प्रथम दृष्टया दूषित प्रतीत होने पर नष्ट करवाया गया एवं शेष नमूनों का माल को सीज व सील कर विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया। राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भरतपुर की जांच रिपोर्ट एवं रैफरल खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नमूना संख्या डी 2631, डी 2632, डी 2633, डी 2635, डी 2636 एवं डी 2637 मानक स्तर के पाये गये एवं नमूना संख्या डी 2634 रिफाईण्ड पामोलिन रैफरल प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट के सबस्टेण्डर्ड पाया गया एवं नमूना संख्या डी 2638 वाईट किरस्टल सुगर रैफरल प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मानक पाया गया। विक्रेता की उक्त 108 टीन (15 किलो प्रत्येक) रिफाईण्ड पामोलिन ऑयल में से 1.6 किलोग्राम रिफाईण्ड पामोलिन ऑयल वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता लोकेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र श्री शिवदयाल त्यागी को रू 175/– (एक सौ पिचहत्तर) रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा 1.6 किलोग्राम रिफाईण्ड पामोलिन ऑयल जो एक सील पैक टीन को खोलकर में से बोतलों में भरा तथा लेवल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम , नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 2634 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर लोकेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र श्री शिवदयाल त्यागी के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। जो पत्रावली में संलग्न है। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली में संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/ 2022/502 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/1119/एक्ट/2022/1120 दिनांक 04.11.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाईण्ड पामोलिन ऑयल अवमानक (Substandard) प्रकृति का पाया गया मूल जांच रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। आवेदक द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त आवश्यक सभी दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी का प्रस्तुत किये।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज अभियोजन स्वीकृति हेतु श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को प्रस्तुत किये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ अवमानक (Substandard) प्रकृति का रिफाईण्ड पामोलिन का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बहस के दौरान जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने कथन में निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी विपक्षी है और प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे को नहीं लडना चाहता है और मुकदमे का निस्तारण कराना चाहता है। प्रार्थी के उपरोक्त मुकदमे का निस्तारण कर कम से कम जुर्माना लागये जाने की कृपा करें जो न्यायहित में उचित व आवश्यक है। उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी मुकदमा नहीं लडना चाहता है और अपने जुर्म को स्वीकार करता है। अतः प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार कर धारा 26(2)(ii) FSS की कार्यवाही ड्राप किये जाने की कृपा की जावे।

हमने पैरोकार सरकार व अभिभाषक अभियुक्तगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./1119/Act/2022/1120 DATE 04-11-2022** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

"Opinion- The sample of **'Refined Palmolein Oil'** bearing code & serial No. **D-2634** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Substandard as it does not confirm to the prescribed standards** of food Safety and Standards (Food product standard and food aditives) Act 2006

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Substandard) प्रकृति का रिफाईण्ड पामोलिन का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी अवमानक (Substandard) प्रकृति का रिफाईण्ड पामोलिन बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी लोकेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र श्री शिवदयाल त्यागी, उम्र 32 वर्ष जाति त्यागी मालिक/विकेता मैसर्स– त्यागी इन्डस्ट्रीज F–121ग्रोथ सेन्टर रीको इ0 एरिया धौलपुर निवासी बदरिका सैंपऊ धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 1,00,000/–रुपये (एक लाख रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner